सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 01.07.2024

दहेज हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बलरई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.06.2024 को वादी लक्ष्मन पुत्र रामसनेही निवासी सकतपुर की मडैया थाना बलरई जनपद इटावा द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि उसने अपनी की बहन जयरानी की शादी दिनांक 21.04.2024 को रवि उर्फ प्रेम निवासी नगला विशुन थाना बलरई के साथ की थी परन्तु ससुराल वाले आये दिन अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते रहते थे इसी कारण रवि उर्फ प्रेम आदि 08 व्यक्तियों ने दिनांक 27.06.2024 की रात्रि को वादी की बहन व भांजे के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी जिनका इजाल सैफई पीजीआई में चल रहा है। **सूचना पर तत्काल थाना बलरई पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 498ए/307 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 01.07.2024 को थाना बलरई थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 34/2024 से सम्बन्धित **अभियुक्त रवि उर्फ प्रेम व 01 अभियुक्ता को जसवन्तनगर पुल के नीचे से समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि उर्फ प्रेम पुत्र हरिज्ञान सिंह निवासी ग्राम नगला विशुन थाना बलरई जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**
2. 01 अभियुक्ता।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 498ए/307 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बलरई जनपद इटावा।

पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बलरई, उ0नि0 तरूण प्रताप सिंह, का0 रामअवतार, म0का0 अदिती सहारना, का0 चालक विकास कुमार।